उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–290–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–19–प्र0सु0/2004 **दिनाँक : 02.03.2023**

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं केस्को–कानपुर।
2. निदेशक, (वितरण/वित्त/वाणिज्य/आई0टी/कार0प्ला0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/अपर सचिव–तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जॉच समिति)/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in के व्यापक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लोक भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–73/चौंतीस/लो0शि0 5/2023 दिनांक 13.01.2023 (**छायाप्रति संलग्न**) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in के व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

पोर्टल के प्रचार–प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय सुझाए गये है:–

1 विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए।

2 अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (PIOs) के निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित **टैक्स्ट** को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए–

"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः–02

Ph : 0522-221-8327/8423 Email : dsmpi01uppcl@gmail.com

संख्या–281–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराये।
4. अनु सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ को उनके पत्र संख्या–416–सू0प्रा0अ0(15)/पाकालि/2023–112–ज0सू0/2023 दिनांक 15.02.2023 के सन्दर्भ में।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट https://www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

416

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 73/मु०/लो०शि०अ०-5/2023 दिनांक 13/01/2023

RTI ऑनलाइन

मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उन्हें यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

2- विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वैब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जनसूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

4- पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं:-

- विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए।
- अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए-

"उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वैब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

MD PCL/TCL

02.2.2023
(एम० देवराज)
अध्यक्ष

786/MDS/2023
04/02/2023

Dir(HR)/IT

13.01.2022

(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**

2- **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**

3- **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**

4- **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

5- **समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।**

907
4 2 23
06 2 23

03.2.23

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **मुख्य सचिव,** उत्तर प्रदेश शासन।

2- **प्रमुख सचिव,** प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि पर विभाग के आधिकारिक ऐकाउन्ट निर्मित कर प्रदेश की नई पीढ़ी के मध्य ऑनलाइन RTI के वैब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

AS03
DSM
4/2/2023

अनुभाग (R.T.I)
06/02/2023

SE(RTI)
06.02.2023

सं० 183
दिनांक 6-2-23
13.01.2022

ARN
07/02/23